न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर

(138)

द्वितीय अपील क्रं. 555-I/12

मौजा कठौतिया तहसील तैंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर

नंबर बंदोबस्त 42, प.ह.नं. 15

1. गोविन्द वल्द देवकरण काछी

2. इंदर सिंह वल्द देवकरण काछी

दोनों निवासी कठौतिया तहसीलतैंदूखेड़ा

जिला नरसिंहपुर - - - - - - - - - - पुनरीक्षणकर्तागण

अपीलार्थीगण

श्री यू. के. शर्मा, अधि. द्वारा आज दि. 12-3-12 को प्रस्तुत
12-3-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

मुन्नीबाई पुत्री देवकरण काछी निवासी कठौतिया

तहसील तेन्दूखेड़ा जिला-नरसिंहपुर - - - - - उत्तरवादी

राजस्व द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44(2),(3) म.प्र.भू रा.सं. 1959

अपीलार्थीगण यह द्वितीय अपील श्रीमान् एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 301अ-6/11-12 गोविन्द वगैरा बनाम मुन्नीबाई काछी, में पारित आदेश दिनांक 09-01-2012 , जो कि श्रीमान् अपर कलेक्टर नरसिंहपुर की निगरानी प्रकरण क्रं. 4अ-6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 29-11-2011 के पक्षकार गोविन्द वगैरा बनाम मुन्नीबाई काछी , जो कि श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तैंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के राजस्व अपील क्रं. 1अ-6/10-11 मुन्नीबाई बनाम गोविन्द सिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30-8-2011 से उत्पन्न हुई थी , से पीड़ित होकर, अनेकों में से कुछेक निम्नांकित आधारों पर पेश कर रहे हैं:-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(138)

प्रकरण कमांक निगरानी 555—एक/12 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27—4—2016	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण दिनांक 12—3—12 को इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है । इसके उपरांत आवेदक को कई सूचनापत्र उपस्थित होने हेतु भेजे गये हैं परंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	